

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र


पटना, दिनांक- 16.5.2016

सं०-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०- 10 / विभागीय अधिसूचना सं० 8,
दिनांक 12.5.16 द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक
प्रशिक्षण सेवा, बिहार नियोजन सेवा एवं बिहार श्रम सेवा के 8 पदाधिकारियों को बिहार
राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के तहत
रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त अधिसूचना में नामित 8 पदाधिकारियों के नाम के समक्ष कंडिका 4 में अंकित
"पे-बैंड 1" के बदले "पे-बैंड 4" एवं "पे-बैंड 2" के बदले "पे-बैंड 3" पढ़ा जाय।


3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(देव चन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०- 10 / पटना-15, दिनांक- 16.5.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के
विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/आई०टी०
मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव